न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 75/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भेराराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी गोरेडीचांचा तहसील डेगाना जिला नागौर।		1राज. सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना। 2पटवारी गोरेडीचांचा तहसील डेगाना।

उपस्थिति :–
1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक: 23.12.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 263/2017 सरकार बनाम भेराराम में निर्णय दिनांक 15.12.17 के तहत मौजा गोरेडीचांचा के खसरा नं. 555/324 रकबा 0.0110 हैक्ट. गै.मु. बारानी–1 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.01.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 09.02.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 263/17 सरकार बनाम भेराराम के फर्द अहकाम दिनांक 24.10.17 से 15.12.17 की फोटोप्रति तथा पटटा सं. 43 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.12.17 को पत्रावली आदेश हेतु नियत की थी। उस दिन अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ था। अपीलांट को बताया कि अभी तक आदेश लिखवाया नही है तथा आदेश होने पर आपको सूचित कर देगे तथा मौके पर पटवारी को भेजगे तो अपीलांट पटवारी का इंतजार करता रहा। लेकिन मौके पर कोई नही आया तो अपीलांट दिनांक 1.1.18 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ तो अपीलांट को बताया कि आदेश तो कर दिया लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नही किये है आज हस्ताक्षर कर देगे और आप नकल प्राप्त कर लेना तब दिनांक 1.1.18 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर आदेश की नकल अपीलांट को दिनांक 12.1.18 को प्राप्त हुई तत्पश्चात दिनांक 13–14.1.18 को राजकीय अवकाश होने से दिनांक 15.01.18 को अपीलांट नागौर आकर अपील तैयार करवायी और जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश की। जिसे अंदर मियाद शुमार मानी जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विपरीत जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो आदेश बिल्कुल ही विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण व कब्जा नही किया है बल्कि अपीलांट का जिस भूमि पर कब्जा है वह भूमि अपीलांट की पटटासुद भूमि है तथा ग्राम पंचायत गोरेडीचाचा के द्वारा पटटा सं. 43 दिनांक 9.10.84 को नियमानुसार अपीलांट के पिता घीसाराम के पक्ष मे जारी किया गया था। जिस पटटे को नही मानने का कोई कारण भी नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने

अपर कलक्टर, नागौर

पटटासुदा भूमि होते हुए भी अपीलांट को अतिक्रमी मानने मे कानूनी रूप से बडी भारी भूल की है ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश स्वतः ही निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट के पक्ष मे जो पटटा जारी हो रखा है वह भूमि आबादी भूमि के अन्तर्गत आती है तथा आबादी भूमि होने से तहसीलदार को 91 की कार्यवाही करने का व अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित करने का तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नही था फिर भी तहसीलदार ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर विधि विरूद्व कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(IV)–पटवारी ने सरकारी भूमि का व आबादी भूमि का बिना कोई नाप किये ही बिना मौके पर आये ही राजनैतिक पार्टी बाजी की वजह से अपीलांट को पट्टासुदा व स्वामित्वसुदा भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित करने की गरज से झूठी व मिथ्या रिपोर्ट अपीलांट के बाले बाले ही तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिस रिपोर्ट का कानून की निगाह मे कोई मान्यता नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की ऐसी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को अतिक्रमी मानने मे बडी भारी भूल की गई। जबकि खसरा नं. 555/324 व 324 की भूमि श्मशान भूमि व कब्रिस्तान की भूमि मे दबी हुई होना पटवारी की नाप रिपोर्ट सन 1983 की रिपोर्ट से साबित है लेकिन श्मसानभूमि व कब्रिस्तान को सुरक्षित रखने के उददेश्य से पटवारी ने अपीलांट के खिलाफ झूठी व मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आबादी भूमि मे बने हुए पट्टासुदा भूमि से अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है जबकि तहसीलदार को अपीलांट के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही करने का व बेदखल करने का आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नही था फिर भी तहसीलदार ने सारी कार्यवाही विधि विरूद्व की गई है ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(V)–अपीलांट का पट्टासुदा भूमि पर पीढियो से कब्जा व स्वामित्व रहता चला आया है तथा पक्का मकान बना हुआ है तथा पट्टासुदा भूखण्ड से व मकान से बेदखल करने का तहसीलदार को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है तथा पटवारी ने सरकारी भूमि व अपीलांट की पट्टासुदा भूमि व आबादी भूमि का बिना कोई नाप चोप किये ही मौका रिपोर्ट मिथ्या व झूठी तैयार की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा गोरेडीचांचा में स्थित गै.मु. बारानी–1 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके गोरेडीचांचा के खसरा नंबर 555/324 रकबा 0.0110 हैक्ट. गै.मु. बारानी–1 भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. बारानी–1 है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर